Period of Probation, if any	Method of Recruitment whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods
(9)	(10)
One year for direct recruits	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition?
(11)	(12)
Not applicable	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation)** 1. Joint Secretary (Administration) - Chairman 2. Director (A)/Deputy Secretary(A) – Member 3. Deputy Commissioner (Port, Operation and Project) – Member.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
(13)	
Consultation with Union Public Service Commission is necessary at the time of appointment and for amendment of these rules.	

[F.No. A-42011/2/2011-HR-II]

SANJAY SRIVASTAVA, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2016

सा. का. नि. 42.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग, सहायक पर्यवेक्षक (गोपनीय) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सहायक पर्यवेक्षक (गोपनीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, सहायक पर्यवेक्षक (गोपनीय) समूह 'ग' भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो ऊपर अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

1218
16/5/16

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक पर्यवेक्षक (गोपनीय)	01*(2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सशस्त्र बलों के कार्मिक के पुनर्नियोजन के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति सशस्त्र बलों के कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रु. +ग्रेड वेतन 2000 रु. या समतुल्य में, नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रु. +ग्रेड वेतन

1900 रु. या समतुल्य में, नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं-

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता ; और

(ii) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में गोपनीय कार्य करने या किसी ख्यातिप्राप्त परीक्षा निकाय या संस्था में परीक्षा के संचालन से संबंधित गोपनीय कागजपत्रों या स्ट्रांग रूम प्रचालन का तीन वर्ष का अनुभव ।

II सशस्त्र बलों के कार्मिक के लिए : प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। यदि चयनित हो जाए तो , ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। उस दशा में जब ऐसे पात्र अधिकारी उक्त पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पहले सेवानिवृत्त या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन (सिविल पद के संदर्भ में सेवानिवृत्ति की आयु तक पुनर्नियोजन) आधार पर होगी।

टिप्पण 1— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3— प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद के लिए विस्तारित होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों की पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे- 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. अवर सचिव (गोपनीय-1), संघ लोक सेवा आयोग —सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशासन), संघ लोक सेवा आयोग —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा.सं. 39021/07/2009-स्था.(बी)]

मनीषा भटनागर, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 7th March, 2016

G.S.R. 42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission, Assistant Supervisor (Confidential) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Supervisor (Confidential) in the Office of Union Public Service Commission, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Assistant Supervisor (Confidential), Group 'C' post Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.**— The number of the said post, its classification and the pay band or grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**— No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Supervisor (Confidential)	01* (2016) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for Armed Forces personnel re-employed

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made
(10)	(11)
Deputation: For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment	**Deputation:** Officers under the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2000 or equivalent rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department; or (iii) with eight years' service in the pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1900 or equivalent rendered after appointment thereto on a regular basis; and (b) possessing the following qualifications: (i) 12th pass or equivalent qualification from a recognised Board or University; and (ii) three years' experience of confidential work in a Central Government Department or handling confidential papers or strong room operations relating to conduct of examination in an Examination Body or an Institution of repute. II. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis (re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts). Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation for re-employed Armed Forces personnel) consisting of :- 1. Joint Secretary (Administration), Union Public Service Commission - Chairman 2. Under Secretary (Confidential-I) Union Public Service Commission - Member 3. Under Secretary (Administration), Union Public Service Commission - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary

[F. No. 39021/07/2009-Estt.(B)]

MANISHA BHATNAGAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.